

Real Estate
Regulatory Authority
Madhya Pradesh

भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरिहा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/II-R/A-05/F-518/723

भोपाल, दिनांक 08/03/2022

प्रति,

मेसर्स अरिहंत होम्स,
सम्प्रवर्तक,
प्रथम तल, पवैया काम्पलेक्स,
काम्पलेक्स, एबी रोड, गुना(म०प्र०)

विषय: परियोजना- अरिहंत हिल्स, गुना (REF. No. 151163834704) के संबंध में।

- 0 -

कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए हैं कि :-

" परियोजना अरिहंत हिल्स, गुना का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है।
परियोजना को पंजीयन क्रमांक P-GUN-22-3186 आवंटित किया गया है।
परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

8/3
(नीरज दुबे)
सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

म-प्र-भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल
आदेश-पत्रिका

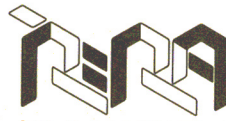
प्रोजेक्ट का नाम- अरिहन्त हिल्स, गुना

प्रोजेक्ट आई डी: 151163834704

कार्यवाही की तारीख, स्थान	आदेश	स्थिति
04.03.2022	प्रोजेक्ट का नाम - अरिहन्त हिल्स, गुना। सम्प्रवर्तक का नाम - मेसर्स अरिहन्त होम्स, गुना। 1- उपसचिव एवं पंजीयन अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि बैंक खाता संप्रवर्तक के नाम पर है अतः परियोजना के नाम पर खाता खोलने को छोड़कर शेष औपचारिकताएं पूर्ण हैं एवं पंजीयन आवेदन मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई है। साथ ही यह भी पाया गया कि आपत्ति के बाद भी आवेदक द्वारा अपलोड शेड्यूल डी एवं ई नियमों में प्रावधानित प्रारूप में नहीं है तथा डेव्हलपमेन्ट वर्क प्लान के स्थान पर स्टीमेट अपलोड किया गया है। 2- आवेदक- मेसर्स अरिहन्त होम्स, गुना हैं, जो कि पार्टनरशिप फर्म श्रेणी के आवेदक हैं, उनके द्वारा, परियोजना- अरिहन्त हिल्स, गुना का पंजीयन भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म. प्र. भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी की टीप के अनुसार आवेदक द्वारा परियोजना के नाम पर बैंक खाता एवं आवेदक द्वारा शेड्यूल डी एवं ई नियमों में प्रावधानित प्रारूप में नहीं है तथा डेव्हलपमेन्ट वर्क प्लान के स्थान पर स्टीमेट अपलोड किया गया है, को छोड़कर शेष अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना ग्राम- कुशमोदा, तहसील एवं जिला- गुना के खसरा क्र. 267/6/1/2 एवं 267/7 कुल रकबा 0.402 हेक्टेयर पर प्रस्तावित हैं। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक फर्म के स्वामित्व की है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी के अनुसार भाररहित है। 3- परियोजना नवीन हो कर मिश्रित विकास से संबंधित है जिसमें 0.402 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपये 163.90 लाख की लागत से विकसित की जानी है, जिसमें 24 भूखण्ड एवं 06 ड्यूप्लेक्स विकसित किये जाने हैं। पंजीयन अधिकारी की परीक्षण टीप के अनुसार सिर्फ बैंक खाता परियोजना के नाम पर खोले जाने का विवरण एवं आवेदक द्वारा शेड्यूल डी एवं ई नियमों में प्रावधानित प्रारूप में नहीं है तथा डेव्हलपमेन्ट वर्क प्लान के स्थान पर स्टीमेट अपलोड किया गया है। अतः उक्त को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 10.10.2025 रहेगी। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। 1. सम्प्रवर्तक अधिनियम की धारा 4 (2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू-संपदा परियोजना के लिये समय-समय पर वसूल की गई रकमों का 70% निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाता खोलेगा और उस खाते में जमा रकम सिर्फ इस परियोजना में प्रयोजन के लिये ही उपयोग कर सकेगा। सम्प्रवर्तक इस प्रकार खाता खोलकर जानकारी प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा। 2. आवेदक द्वारा शेड्यूल डी एवं ई नियमों में प्रावधानित प्रारूप में नहीं है तथा डेव्हलपमेन्ट वर्क प्लान के स्थान पर स्टीमेट अपलोड किया गया है अतः 15 दिवस के अंदर प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड करें। आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।	

(एस.एस. राजपत)

(ए.पी. श्रीवास्तव)



Real Estate Regulatory Authority
Madhya Pradesh भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"
{नियम 6 (1) देखिए}

परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक **P-GUN-22-3186** अधीन मंजूर किया जाता है:-

परियोजना - अरिहन्त हिल्स-गुना-म.प्र.

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

1. (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/श्रीमती
पुत्र श्री/श्रीमती
तहसील जिला राज्य

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में) **मेसर्स अरिहन्त होम्स गुना**
फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी **प्रथम तल, पर्वया कॉम्प्लेक्स**
कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा। **ए.बी. रोड-गुना-म.प्र.**

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -
(एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।
(दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।
(तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।
(चार) पंजीयन **दिनांक 07-03-2022** से शुरू करते हुए **10-10-2025** के साथ समाप्त करते हुए वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।
(पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।
(छः) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकरण प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अधीन।

दिनांक : **07-03-2022**

स्थान : **भोपाल**

प्रमाणित
प्राधिकरण के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण